मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2016 (फाल्गुन 26, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 19 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 एवं 23) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 154 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 170 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार –

(1) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की जबेरा के ग्राम झमरा में कृषक की फसल जलने पर मुआवजा दिये जाने,
(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल नगर निगम के जोनल कार्यालय क्रमांक 9 में पेयजल के नाम पर लोगों को परेशान किये जाने,
(3) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य की टीकमगढ़ के ग्राम अस्तौन का किला जर्जर होने,
(4) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी में एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउण्ड की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण किये जाने,
(5) श्री नारायण सिंह पवार,सदस्य की राजगढ़ के अपर सत्र न्यायालय में पृथक्-पृथक् लोक अभियोजन की नियुक्ति न होने,
(6) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सिंगरौली जिले के देवसर क्षेत्र में संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ न मिलने,
(7) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य की विदिशा जिले में गंजबासौदा एवं ग्यारसपुर क्षेत्र में स्कूल भवन तक पहुंच मार्ग न होने,
(8) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा, सदस्य की लोक शिक्षण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित न किये जाने,
(9) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की मंदसौर जिले में राजस्व अभिलेखों में मेघवाल जाति का उल्लेख न किये जाने,
(10) श्री सचिन यादव, सदस्य की जिला खरगोन में नकोड़ा जिनिंग कंपनी द्वारा कृषकों के साथ राशि की धोखाधड़ी होने,
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

3. शून्यकाल में उल्लेख

प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा धरना और हड़ताल करने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की जाना

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – "प्रदेश के कर्मचारी धरना और हड़ताल पर हैं. शासकीय कामकाज हो नहीं रहे हैं. शुक्रवार को दिये गये उनके स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जाए. इस संबंध में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जानकारी दी गई कि अधिकांश संगठनों से कल बात हो गई है, बहुउद्देशीय और पंचायत कर्मियों के संगठनों की हड़ताल समाप्त हो गई है और संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के संगठन से भी सारगर्भित चर्चा हुई है. मैं समझता हूं आज सभी का समापन हो जायेगा. श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा भी सूचित किया गया कि उनके विभाग के पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, संविदा और मनरेगा के कर्मचारियों ने भी कल रात को हड़ताल समाप्त कर दी है.

4. बहिर्गमन

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा धरना, आन्दोलन और हड़ताल संबंधी दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा न कराने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015) की धारा 58 की उपधारा (1) (दो) के खण्ड (घ) की अपेक्षानुसार –

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2014-15,
(ख) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2014-15 तथा
(ग) मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, बुरहानपुर (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2014-15 पटल पर रखे.

6. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री जितू पटवारी, सुदर्शन गुप्ता, मनोज पटेल एवं राजेन्द्र वर्मा, सदस्यगण ने इन्दौर नगर में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पुराने रिहाइशी मकानों को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया.

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने इस पर वक्तव्य दिया.

7. बहिर्गमन

श्री जितू पटवारी, सदस्य द्वारा उनके ध्यानाकर्षण पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

8. ध्यान आकर्षण (क्रमश:)

(2) श्री के. के. श्रीवास्तव, सदस्य ने भोपाल स्थित राजीव गांधी कॉलेज समिति प्रबन्धन द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं:-

(1) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(2) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(3) श्रीमती चंदा सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(4) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(5) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (जिला-अशोकनगर)
(6) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(7) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(8) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(9) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(10) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(11) श्री कैलाश चावला, सदस्य, नीमच)
(12) श्री के.के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)
(13) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(14) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(15) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(16) श्री घनश्याम पिरौनियां (जिला-दतिया)
(17) श्री वीर सिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(18) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(19) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला-दमोह)
(20) श्री आरिफ अकील (जिला-बुधनी)

(21) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(22) श्री सचिन यादव (जिला-खरगोन)
(23) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(24) एडवोकेट सत्य प्रकाश सखवार (जिला-मुरैना)
(25) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(26) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(27) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(28) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(29) श्री कालूसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(30) श्रीमती शीला त्यागी(जिला-रीवा)
(31) डॉ. गोविंद सिंह (जिला-भिण्ड)
(32) श्री गोविंद सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(33) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(34) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
(35) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(36) श्री सुशील कुमार तिवारी (इन्दु भैया) (जिला-जबलपुर)
(37) पं. रमाकांत तिवारी (जिला-रीवा)
(38) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(39) श्री विश्वास सारंग (जिला-भोपाल शहर)
(40) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(41) श्री कुंवर सिंह टेकाम (जिला-सीधी)

10. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(15) श्री लाल सिंह आर्य, राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण के लिए तीन हजार तीन सौ चौरानबे करोड़, तिहत्तर लाख, सैंतीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 71	सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय के लिए दो सौ उनतालीस करोड़, चौउवन लाख, तिरानबे हजार रुपये तथा
अनुदान संख्या – 75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए छह हजार पांच सौ इक्यानवे करोड़, इकसठ लाख, छियालीस हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री कमलेश्वर पटेल

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री शैलेन्द्र जैन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री रामेश्वर शर्मा
(5) कुंवर सौरभ सिंह

सभापति महोदय (डॉ. गोविन्द सिंह) पीठासीन हुए.

(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(7) श्रीमती शीला त्यागी
(8) श्री जितू पटवारी

(9) श्री भारत सिंह कुशवाह
(10) श्री गिरीश भण्डारी
(11) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल
(12) श्री दिनेश राय

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(13) श्री सुदर्शन गुप्ता
(14) श्री घनश्याम पिरोनियां
(15) श्री हरदीप सिंह डंग
(16) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
(17) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
(18) श्री प्रदीप अग्रवाल
(19) कुंवर विक्रम सिंह
(20) श्री वीर सिंह पंवार
(21) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(22) इंजी. प्रदीप लारिया
(23) श्री बहादुर सिंह चौहान
(24) श्री दिलीप सिंह परिहार
(25) श्री रणजीत सिंह गुणवान
(26) कुं. हजारीलाल दांगी
(27) श्री आर.डी. प्रजापति
(28) श्री नारायण सिंह पंवार
(29) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(30) श्री प्रहलाद भारती
(31) श्री जालम सिंह पटेल
(32) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को

श्री लाल सिंह आर्य, राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(16) श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए एक हजार तीन सौ पैंतालीस करोड़, उनतीस लाख, तिरपन हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए चौहत्तर करोड़, छियासी लाख, चौरानबे हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 35	पुनर्वास के लिए सतहत्तर लाख, पच्चीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए दो हजार चार सौ दो करोड़, चौबीस लाख, छियासठ हजार रूपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री शैलेन्द्र पटेल
(4) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(5) कुंवर सौरभ सिंह
(6) श्री बहादुर सिंह चौहान

सभापति महोदय द्वारा घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों के लिये सदन की लॉबी में स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करें.

(7) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(8) श्री दुर्गालाल विजय
(9) श्रीमती ऊषा चौधरी
(10) श्री रामलल्लू वैश्य
(11) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(12) श्री दिनेश राय
(13) श्री वीर सिंह पंवार
(14) श्री सूबेदार सिंह रजौधा
(15) श्री गिरीश भंडारी
(16) श्री हेमंत विजय खण्डेलवाल
(17) श्री कमलेश्वर पटेल
(18) श्री ओमप्रकाश धुर्वे

11. बहिर्गमन

श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा आसंदी के प्रति असंसदीय टिप्पणी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया.

12. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय सदस्यों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भोजन व्यवस्था विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज रात्रि 7.30 बजे विधान सभा भवन स्थित मानसरोवर सभागार में माननीय सदस्यों के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है. कार्यक्रम में श्री अरूण गोयल एवं सहयोगियों द्वारा कबीर के निर्गुण भजनों की प्रस्तुति की जायेगी. कार्यक्रम के उपरान्त रात्रि भोज भी आयोजित है. सभी माननीय सदस्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भोज में सम्मलित होने का कष्ट करें.

14. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(17) श्रीमती माया सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 55 महिला एवं बाल विकास के लिए दो हजार सात सौ छह करोड़, तिरानबे लाख, तिरेपन हजार रूपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

(डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्यमंत्री ने उल्लेख किया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री महिला है और यह वर्ष महिला वर्ष भी है मैं प्रभारी नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा कि इस चर्चा में महिला सदस्य ही भाग लेकर एक नई परम्परा प्रारम्भ करें. श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस सुझाव को मान्य किया गया.)

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे

15. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सदन के समय में 7.30 बजे तक की वृद्धि की गई.

16. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(2) सुश्री उषा ठाकुर

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(3) श्री ओमकार सिंह मरकाम

(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 7.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 2016 (27 फाल्गुन, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 16 मार्च, 2016